वर्ष 2025-26 के लिए एमओयू	
सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग	
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**विद्युत मंत्रालय**

कार्यक्षेत्र: स्टैंडअलोन

उद्देश्य, उत्तरदायित्व और शासी फ्रेमवर्क:
सीपीएसई के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए डीपीई के एमओयू फ्रेमवर्क के माध्यम से यथा निर्धारित अनुसार।

वर्ष 2025-26 के लिए पैरामीटर-वार वार्षिक लक्ष्य

भाग-I: मुख्य पैरामीटर

क्र.सं.	पैरामीटर	यूनिट	भारांक	लक्ष्य 2025-26
1	प्रचालनों से राजस्व	करोड़ रुपए	15	61095
2	कुल उपलब्ध निधि में से संवितरित ऋण	%	10	100.00
3	कुल ऋणों में से अतिदेय ऋण	%	10	0.28
4	कुल ऋणों में से एनपीए	%	10	0.75
5	ईबीटीडीए (कुल आय के प्रतिशत के रूप में)	%	10	38.33
6	नेट वर्थ पर रिटर्न	%	10	21.70
7	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	%	5	11.45
8	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5	11.00
9	समान रेटिंग वाली सीपीएसई(यों) की तुलना में बॉन्ड्स के माध्यम से निधि जुटाव की लागत	बीपीएस	8	-13.00
10	जीईएम (GeM) के माध्यम से खरीद (कुल खरीद के प्रतिशत के अनुसार)	%	2	100.00
11	शेयरधारकों को कुल रिटर्न	%	15	100.00
	कुल		**100**	

भाग-II: अनुपालन पैरामीटर

क्र.सं.	पैरामीटर	अंक	स्रोत/सत्यापन
1	सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशानिर्देश	-1	बोर्ड संकल्प/वार्षिक रिपोर्ट, और डीपीई के सीएसआर सेल से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
2	निगमित अभिशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 [अथवा सूचीबद्ध एंटिटियों के मामले में सेबी (एलओडीआर) विनियम)] में प्रावधान: क. निदेशक मंडल का गठन ख. निदेशक मंडल समितियां ग. निदेशक मंडल एवं समितियों की बैठकों का आयोजन घ. संबंधित पक्षकार लेन-देन ङ. प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता	-3.0	सीएजी/ सांविधिक/ सचिवालयी लेखापरीक्षक रिपोर्ट(ओं)/ वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3	सभी परिचालनात्मक टीआरईडीएस (TReDS) प्लेटफार्मों पर सीपीएसई की ऑनबोर्डिंग	-0.5	एमएसएमई संबंध/ टीआरईडीएस पोर्टल
4	एमएसएमईडी अधिनियम में यथा निर्धारित अनुसार एमएसई विक्रेताओं को समय पर भुगतान	-3.0	एमएसएमई समाधान/ टीआरईडीएस पोर्टल/ वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय/ कोई अन्य प्रामाणिक स्रोत
5	निम्नलिखित से माल एवं सेवाओं की खरीद (कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में)- क. समग्र एमएसई – 25% ख. एससी/एसटी स्वामित्व वाले एमएसई – 4% ग. महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई – 3%	-2	एमएसएमई संबंध पोर्टल/ वार्षिक रिपोर्ट/ पीई सर्वेक्षण
6	सीपीएसई(यों) में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदम एवं पहल	-1	बोर्ड संकल्प के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय [प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं]
7	एमसीए की पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत लक्ष्य	-1	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और/या बोर्ड संकल्प/ वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय [पार्टनर कंपनियों के रूप में प्रतिभागी सीपीएसई(यों) पर लागू]
8	नेतृत्व विकास योजना	-1	डीपीई और/या प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त इनपुट
9	अधिशेष गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों (भूमि और भवन) के मुद्रीकरण की योजना।	-1	निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्रस्तुत योजना द्वारा डीपीई

नोट:

(i) अनुमानों/प्रोजेक्शन के आधार पर निर्धारित किए गए लक्ष्य, लेखापरीक्षित आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात डीपीई द्वारा संशोधन के अध्यधीन होंगे।

(ii) पैरामीटर (हानि/ व्यय में कमी को छोड़कर) का मूल्यांकन, लक्ष्य के 50% से 100% के बीच उपलब्धियों के लिए आनुपातिक मार्किंग के आधार पर किया जाएगा। 50% से कम की उपलब्धियों को शून्य अंक दिए जाएंगे, सिवाय शेयरधारकों को कुल रिटर्न पैरामीटर के, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

(iii) समग्र स्कोर अनुपालन पैरामीटरों को पूरा करने पर निर्भर होंगे। अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप, बिना किसी आंशिक या आनुपातिक कटौती के, जैसा कि इंगित किया गया है, पूर्ण अंक काटे जाएंगे।

(iv) विनिमय दर में परिवर्तन, कच्चे माल या तैयार माल की विनियामक कीमतों या मार्जिन में कमी या किसी अन्य कारण से लक्ष्यों या उपलब्धियों में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

(v) पूंजीगत व्यय लक्ष्य बजट व्यय प्रोफाइल के विवरण 26 (लोक उद्यमों में निवेश) के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। पूंजीगत परिव्ययों के संशोधित अनुमानों को उपलब्धि के मूल्यांकन और स्कोर निर्धारित करने के लिए अंतिम लक्ष्य माना जाएगा, बशर्ते कि न्यूनतम लक्ष्य ₹100 करोड़ हो।

(vi) शेयरधारकों को कुल रिटर्न का लक्ष्य 100% निर्धारित किया गया है, जिसका मूल्यांकन एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में गणना किए गए बेंचमार्क के आधार पर किया जाएगा।

हस्ताक्षर और तारीख

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सचिव,
विद्युत मंत्रालय